Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies
Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com
ISSN:2584-105X Pg. 188 - 193

आधुनिक समाज में विवाह संस्था: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

धर्मेन्द्र
असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर

Accepted: 09/07/2024
Published: 11/07/2024

सारांश

यह शोध पत्र आधुनिक समाज में विवाह संस्था के बदलते स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है । विवाह एक सार्वभौम सामाजिक संस्था है, जिसका अस्तित्व सभी समाजों और समयों में पाया जाता है । परम्परागत रूप से विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था, जिसका प्रमुख उद्देश्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, और धार्मिक दायित्वों का निर्वाह था । हालांकि, आधुनिकता, औद्योगीकरण, नगरीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से विवाह के स्वरूप, उद्देश्य और प्रतिमानों में मूलभूत परिवर्तन आए हैं । धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण विवाह को अब एक सामाजिक समझौते के रूप में देखा जाने लगा है, जिससे विवाह विच्छेद एक सामान्य बात हो गई है । प्रेम विवाहों और अन्तर्जातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ा है, जिसमें व्यक्तिगत पसंद और भावनात्मक पूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है । शिक्षा के प्रसार ने नारी की स्थिति में परिवर्तन लाया है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन रही है और पति-पत्नी के संबंधों में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति बढ़ी है । शोध पत्र परिवार के विघटन, व्यक्तिवाद के उदय, और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन जैसी समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है । अंततः, यह पत्र निष्कर्ष निकालता है कि आधुनिक विवाह एक स्वैच्छिक मिलन है जो प्रेम, सम्मान और आपसी प्रतिबद्धता पर आधारित है, और यह परिवार की आधारशिला तथा समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक है ।

मुख्य शब्द: *विवाह संस्था, आधुनिक समाज, लैंगिक समानता, विवाह विच्छेद, प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, धर्मनिरपेक्षीकरण, सामाजिक परिवर्तन, भारतीय समाज, परिवार ।*

प्रस्तावना

विवाह एक सार्वभौम सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्थाओं में इसका स्थान सर्वोपरि है। संसार के सभी समाजों और समयों में विवाह का अस्तित्व पाया जाता है। विवाह शब्द की उत्पत्ति 'विशिष्टम् वहनम् विवाहः' अर्थात् जिसे विशेष रूप से वहन किया जाय, उसे विवाह कहा जाता है। विवाह मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री-पुरुष की यौन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने, उसे एक निश्चित ढंग से नियन्त्रित करने व बच्चों को जन्म देने की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में विवाह वह संस्था है, जिसके द्वारा स्त्री व पुरुष का यौन सम्बन्ध समाज द्वारा मान्य तरीकों से व्यवस्थित होता है तथा परिवार बसाने व बच्चों को जन्म देने का उद्देश्य पूरा किया जाता है। वास्तव में विवाह परिवार को स्थायी रूप देने वाली प्रमुख संस्था है। विवाह का शाब्दिक अर्थ है, 'उद्वह' अर्थात् वधू को वर के घर ले जाना। अन्य शब्दों में समाज द्वारा अनुमोदित स्त्री-पुरुष के संयोग को विवाह कहते हैं। विवाह दो विषम-लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। विवाह का प्रमुख उद्देश्य यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, स्त्री-पुरुष एवं बच्चों के उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों का निर्धारण तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनाना है।

आधुनिक समाज में विवाह संस्था

विवाह एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है जो एक स्त्री-पुरुष को कुछ विशेष नियमों के अन्तर्गत यौन संतुष्टि के अवसर प्रदान करती है और परिवार में व्यक्ति के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक दायित्वों का निर्धारण करती है। कपाड़िया ने दार्शनिक रूप से विवाह को न केवल यौन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति बल्कि धार्मिक दायित्वों की पूर्ति एवं प्रजनन परम्परा को बनाये रखने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया है। दूबे के अनुसार, उत्पादन इकाई में सदस्यों की वृद्धि, परिधियों की निरन्तरता तथा भावात्मक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुत्र प्राप्ति का प्रमुख साधन होने के कारण भारतीय ग्रामीण समाज में विवाह प्राकृतिक एवं सार्वभौमिक रूप से आवश्यक संस्था है। बोसार्ड का कथन है कि, विवाह समाज में व्यक्ति के पद और स्थिति को निर्धारित करता है।

विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं "विवाह स्त्री-पुरुष का ऐसा योग है, जिससे उत्पन्न बच्चों को वैध माना जाता है।" बोगार्डस के अनुसार, "विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है।" डब्ल्यू एच.आर. रिवर्स के अनुसार "जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन सम्बन्धों का नियमन करता है, उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है।" मजूमदार और मदान के अनुसार, "एक कानूनी या धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंग के दो व्यक्तियों को यौनिक सम्बन्धों को स्थापित करने और उनसे सम्बन्धित सामाजिक तथा धार्मिक सम्बन्धों में भाग लेने का उन्हें अधिकार देती है।" गिलिन तथा गिलिन के अनुसार, "विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार को स्थापित करने के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त विधि है।" इन परिभाषाओं के आधार पर विवाह की प्रमुख विशेषताएं हैं: 1. विवाह एक सार्वभौम सामाजिक संस्था है; 2. इसमें स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्धों में वैधता आती है; 3. विवाह सम्बन्ध तभी मान्य होते हैं जब उसका निर्धारण समाज स्वीकृत प्रथाओं अथवा कानून द्वारा हुआ हो; 4. इसमें स्त्री तथा पुरुष के अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण होता है; 5. विवाह न सिर्फ यौन सम्बन्ध पर आधारित है बल्कि यह एक सामाजिक-आर्थिक संस्था भी है जिससे पति-पत्नी के रूप में स्त्री-पुरुष के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों तथा सामाजिक प्रस्थिति का भी निर्धारण होता है; 6. भिन्न-भिन्न समाजों में विवाह की पद्धति तथा उद्देश्यों में भिन्नता पायी जाती है। अतएव, सुव्यवस्थित रूप से सृष्टि के संचालन, पारिवारिक जीवन को सुसंगठित और सुचारु रूप से चलाने तथा काम भावना को मर्यादित स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से विवाह का विशेष महत्व है। विवाह के सामाजिक महत्व को निम्न बिन्दुओं में देखा जा सकता है: 1. परिवार की आधारशिला; 2. बच्चों को वैधता प्रदान करना; 3. सामाजिक सम्बन्धों का निर्धारण; 4. व्यक्ति का सामाजीकरण; 5. संस्कृति एवं परम्परा का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण; 6. यौन सम्बन्धों का नियमन।

भारत के वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार था। वैदिक साहित्य एवं महाभारत में दिए गए विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि नियमित विवाह का प्रचलन तत्कालीन समाज में था। ऋग्वेद के अनुसार विवाह पवित्र जीवन का एक नया अवसर प्रदान करता है। विवाहित युगल अपने विवाह के समय पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर वैदिक कर्म काण्डों के द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार गृहस्त बनाना समाज के लिए उतना ही आवश्यक है जितना की शरीर के लिए साँस लेना। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को विवाहित जीवन व्यतित करना चाहिए।

हिन्दू समाज में विवाह के आठ प्रकारों का प्रचलन रहा है। स्मृतियों के अन्तर्गत उच्च मध्यमवर्गीय परिवारो में आठ प्रकार के विवाह प्रचलन में थे, लेकिन इनमें पैशाच, राक्षस और असुर विवाह तथा गान्धर्व विवाह पद्धति को समान स्वीकृत प्राप्त नहीं थी। पैशाच विवाह सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह माना जाता था। यह विवाह धोखे से किये गए कामाचार का प्रतिफल था लेकिन गान्धर्व विवाह को प्रेम विवाह के रूप में स्वीकार करते हुए समाज कुछ विशेष संदर्भों में इन्हें विधिक मानता था। दूसरी ओर ब्रह्म, दैव, प्रजापत्य और आर्ष विवाह समाज द्वारा पूर्णतः स्वीकृत विवाह पद्धतियाँ थीं। इनके अन्तगर्त विवाह के उपरान्त वर और वधू के संबंध में समस्त धार्मिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता था जो वर्तमान समय में भी पाए जाते हैं। विवाह का परम्परागत उदेश्य पितृ-सत्तात्मक समाज की

परम्परा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए पुत्र प्राप्त करना था। वैदिक कालीन समाज में दो या तीन पीढीयों के बाद ही परिवारों के विभाजन का संकेत मिलता है। गृहसूत्रो में विवाह के उपरान्त पारिवारिक सामंजस्य पर काफी बल दिया गया है। लेकिन आधुनिक समाज में विवाह के स्वरूप और वैवाहिक संबंधो के प्रतिमान परिवर्तित हुए हैं। औद्योगिक और नगरीय सभ्यता के प्रसार के कारण जातिगत और धार्मिक प्रतिबंध शिथिल हुए हैं। विवाह की उम्र में भी परिर्वतन आया है। हिन्दू विवाह अधिनियम द्वारा लड़कियों और लड़कों के विवाह कि उम्र क्रमशः 18 और 21 वर्ष कर दी गयी है। चूँकि विवाह व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण प्रधटना है इसलिए सामाजिक व्यवस्था में विवाहित व्यक्ति की प्रस्थिति और भूमिका में भी परिर्वतन स्वभाविक होता है। विवाह के उपरान्त व्यक्ति को नए पारिवारिक उत्तरदायित्व का भार वहन करना पडता है और उसके अविवाहित जीवन की प्रकार्यात्मक दशाएं पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। भारतीय समाज में विवाह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारण का प्रमुख आधार रहा है। विवाह संस्कार के द्वारा व्यक्ति न केवल धार्मिक कर्तव्यों एवं अनुष्ठानों को पूर्ण करने के योग्य बनता है, वरन् इसके द्वारा वह पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वाह की क्षमता भी प्राप्त करता है। परम्परागत भारतीय समाज में विवाह का विशेष महत्व रहा है।

विवाह के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में 'एक विवाह का सिद्धान्त' का प्रचलन मिलता है। हिस्ट्री ऑफ हुमन मैरिज में वैस्टरमार्क ने एक विवाह के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। डाविन, जुकरमैन और मैलितोवस्की ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। डार्विन के अनुसार परिवार का जन्म नर की ईर्ष्या और आधिपत्य की भावना में हआ। आदिम समाज में शक्ति के बल पर ऐसा करने मे सफल भी हुआ। आगे चलकर पुरूष का यह अधिकार स्वाभाविक भी इस बात का समर्थन करते है कि अर्ध मानव समाजों और मनुष्य के पूर्वज समझे जाने वाले वनमानुषों में भी वही रीति पाई जाती है। मैंकाइवर के अनुसार एक विवाह का सिद्धाल्त परिवार के उद्गम की पूरी व्याख्या नहीं करता है। यह नहीं माना जा सकता कि सभी स्थानों पर परिवार की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई।

इसके साथ ही अमेरिकन समाजशास्त्री मॉरगन ने परिवार की उत्पति का विकासवादी सिद्धान्त उपस्थित किया है। उसके अनुसार परिवार क्रमशः निम्नलिखित पांच अवस्थाओं से होकर गुजरा है-

रक्त सम्बन्धी परिवार- परिवार की इस अवस्था में रक्त सम्बन्धियों में विवाह की रोक-टोक नहीं थीं।

समूह परिवार- क्रमशः रक्त सम्बन्धियों के विवाह पर नियन्त्रण लगाये गये और परिवार समूह परिवार की अवस्था पर आया। इस अवस्था में एक परिवार के भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सब बहनों के साथ होता है। इस अवस्था में भी आपस में यौन सम्बन्ध निश्चित नहीं थे।

सिडेस्मियन परिवार- इस अवस्था में एक पुरूष एक ही स्त्री से विवाह करता था। परन्तु परिवार में ब्याही हुई स्त्रियों से पुरुषों के यौन सम्बन्ध निश्चित नहीं थे।

पितृसत्तात्मक परिवार- इस अवस्था में परिवार में पुरूष की पूरी प्रभुता थी। वह बहुत सी स्त्रियों में विवाह कर सकता था और सबके साथ यौन सम्बन्ध रखता था।

एक विवाह परिवार- यही परिवार की वर्तमान अवस्था है। इसमें एक समय में एक समय में एक पुरूष एक ही स्त्री से और एक स्त्री भी एक एक समय में एक ही पुरूष से विवाह करती है।

आधुनिक समाज में विवाह संस्था में परिवर्तन आये हैं। इसके पीछे कारण धर्म के महत्व का घटना है। पहले विवाह का एक धार्मिक आधार होता था जिसके कारण लोग विवाह-बन्धन को तोड़ने की बात बहुत कम सोचते थे। पर अब विवाह को एक सामाजिक समझौते के स्प में माना है। इसलिए यह भी सोचा जाने लगा है कि अपनी सुविधानुसार इस समझौते को कभी भी तोड़ा या जोड़ा जा सकता है। आधुनिक समाज में धर्म निरपेक्षीकरण के कारण जीवन चक्र की धारणा तथा कर्मकाण्डों के रूपों में परिवर्तन हुआ है। विभिन्न संस्कारों का संक्षिप्तीकरण धर्म निरपेक्षीकरण का प्रभाव है। विवाह संस्था इससे अधिक प्रभावित है। आधुनिक समाज में विवाह को सम्पन्न करने के लिए नये प्रकार के समारोह अधिक श्रेयस्कर माने जाते हैं जिसमें आगन्तुकों का स्वागत नये ढंग से किया जाता है, उसमें जाति-पाँति के भेदभाव को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। विवाह आदि समारोहों में पहले स्त्रियाँ गाने-बजाने का काम किया करती थीं अब ऐसे समारोहों पर ग्रामोफोन रिकार्ड लगा दिये जाते हैं। धर्म निरपेक्षीकरण का दहेज प्रथा पर प्रभाव पड़ा है। अब लोग सगोत्र, सपिण्ड आदि निषेधों को तोड़ने के लिए तैयार हैं। यदि लड़का डाक्टर, इंजीनियर अथवा प्रशासनिक सेवाओं में लगा है। दहेज भी ऐसे लोगों को मुँह माँगा मिल जाता है।

आधुनिक समाज में विवाह संस्था में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। हिन्दू विवाह के जो प्रमुख आदर्श थे वे अब लुप्त हो रहे हैं। स्त्री-पुरुष विवाह को एक अनुबंध मानने लगे हैं। विवाह विच्छेद एक सामान्य बात बन गयी है। अब अपने जाति से बाहर, अभिभावकों की इच्छा के विरूद्ध विवाह करना प्रगतिशीलता का सूचक माना जाता है। सामाजिक गतिशीलता के कारण जातिगत बन्धन शिथिल पड़ रहे हैं। बहुविवाह, बालविवाह, दहेजप्रथा तथा विधवाविवाह की मनाही के ऊपर आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है। अब इन प्रथाओं का परंपरागत रूप नहीं रहा।

आधुनिक समाज में नैतिक मानदण्डों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। विवाह जहाँ एक धार्मिक संस्कार हुआ करता था। आज विवाह प्रेम एवं रोमांस पर आधारित होता है। प्रेम-विवाहों का प्रचनल लगातार बढ़ रहा है। भावावेश में जो विवाह आज हो रहे हैं वे जीवन की वास्तविकता का

सामना नहीं कर पाते हैं। फलस्वस्प पारिवारिक विघटन को बढ़ावा मिलता है। उच्चतम, तथाकथित शिक्षित, पाश्चात्य जीवन शैली से अभिभूत व्यक्तियों में भी जाति अन्तर्विवाह, विवाह में पैसे का लेन-देन और सौदेबाजी, चाहे वे उसे दहेज का नाम न दें, ग्रामीण भारतीय हिन्दू संस्कृति के स्थायित्व और उसकी जड़ता का ही प्रमाण है।

आधुनिक भारतीय समाज में वैज्ञानिक तकनीकी, सूचना-प्रगति के कारण जीवन-शैली, विचारधारा, मूल्यों सभी में तेजी से परिवर्तन आया है। परिणामस्वरूप पुरानी मान्यताएँ धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही हैं। प्रेम व विवाह सम्बन्धी दृष्टिकोण व मान्यताएँ निरन्तर बदल रही हैं। अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिला है। विवाहेतर सम्बन्ध रखने का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। स्त्री हो या पुरुष दोनों अपनी-अपनी तरह से जीवन-यापन करना चाहते हैं। आज स्त्री घर की चारदीवारी से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए संघर्ष कर रही है। आज के समय में 'ग्लैमर' मॉडलिंग की दुनिया की चकाचौंध ने युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित किया है। विज्ञापन मण्डी में व्यक्ति व्यक्ति न रहकर एक खिलौना बनकर रह गया है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएँ इतनी बढ़ गयी हैं कि वह अपना इच्छित पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज 'ग्लोबलाइजेशन' और बाजारीकरण के युग में आदमी खुद ही वस्तु बन गया है।

आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन के साथ अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं जिनमें अजनबीपन, व्यस्तता, आत्मकेन्द्रीयता, कुंठा, पलायन, भय, अनैतिकता, अपराध, हिंसा, स्वार्थ्य, छल, मानवीय सम्बन्धों में टूटन, नीति-विहीन सत्ता संघर्ष, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, सामाजिक वर्जनाएँ व मान्यताएँ, विवाहपूर्व व विवाहेतर सम्बन्धों के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण, धर्म व सम्प्रदायिकता, समाज में निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति, मध्यवर्ग का बढ़ता संघर्ष, भ्रष्टाचार, पुरानी और नई पीढ़ी का संघर्ष, मूल्यों के बदलते मानदण्ड आदि प्रमुख हैं।

शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ जिसने समाज में स्थित वैवाहिक जीवन की रूढ़-मान्यताओं और परम्परागत बन्धन को कुछ ढीला कर दिया। अब प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा विवाह होने लगे। शिक्षा की सुविधा ने नारी के नये रूप को प्रस्तुत किया। डॉ. आशा बागड़ी लिखती है "स्वतंत्र भारत में स्त्रियों के उपयुक्त ऐसे बहुत से पेशे हैं जिनमें स्त्रियाँ आसानी से अर्थोपार्जन कर सकती हैं। देश में शांति होने से स्त्रियों को कोई भय नहीं। अब उनको अपने रक्षार्थ किसी पुरुष का आलम्बन उतना आवश्यक नहीं जितना मध्यकाल में था।" नारी को स्वातन्त्र्योत्तर काल में अपने अस्तित्व का बोध होने लगा। बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, अनमेल-विवाह, बहु-विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि समस्याओं का निराकरण हुआ। नारी समाज प्रगतिशील होता जा रहा था साथ ही पाश्चात्य-संस्कृति के अंधानुकरण का शिकार भी हो रहा था। आजादी के बाद स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के नये दायरे स्पष्ट हुए हैं। पति-पत्नी के बीच स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति बढ़ती गयी है।

आधुनिक समाज के रहन-सहन, आचार-विचार और व्यवहार में काफी परिवर्तन आया। पुरातनता और नवीनता का द्वन्द्व, पीढ़ी संघर्ष इसी काल की उपज है। संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा व एकाकी परिवार को प्राथमिकता दी जाने लगी। परिवार के विघटन का मूल कारण था आर्थिक कमजोरी तथा बेरोजगारी। रोजगार की तलाश में शिक्षित युवक महानगरों की ओर भागता गया। लेकिन नौकरी न मिलने पर, आय कम होने के कारण, व्यय-साध्य महानगरीय जीवन जीना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया। अल्प-आय, मँहगाई, सुख-सुविधा की लालसा ने व्यक्ति के भीतर घुटन, संत्रास, कुंठा को उपस्थित कर दिया। व्यक्ति अपने ही भीतर एक बिखराव महसूस करने लगा। ऐसी स्थिति में योग्य और संवेदनशील व्यक्ति का मन, उसकी चेतना, उसकी आकांक्षाएँ, सपने, उसका 'स्व' चूर-चूर हो गया। व्यक्ति जिस समूह और वर्ग की इकाई है वह समूह और वर्ग भी बिखरता गया। इकाई, वर्ग और समूह के बिखराव का प्रभाव समाज पर पड़ा और स्वातन्त्र्योत्तर समाज में सर्वत्र बिखराव ही बिखराव दिखायी देता है। आजादी के पूर्व व्यक्ति ने, समूह ने, समाज ने, देश ने जो स्वप्न देखे वे टूट गए। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ, फिर भी वह संतोषजनक नहीं था।

आधुनिक समाज में विवाह-विच्छेद का प्रचलन बढ़ रहा है। विवाह जहाँ पहले एक पवित्र धार्मिक संस्कार होता था। आज प्रायः एक समझौता बन कर रह गया है। थोड़ी सी भी अनबन पति-पत्नी में तलाक की स्थिति पेदा कर रही है। जिसका बहुत बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है।

आधुनिक समाज में सामाजिक मूल्यों व ढाँचे में औद्योगिक से बहुत तेजी से वृद्ध हो रही है जिसका बुरा प्रभाव संगठन पर पड़ा है। पहले सामाजिक मूल्यों को लीजिए। आज परिवार और विवाह के महत्व के सम्बन्ध में लोगों का मनोभाव बदल गया है। लोग इस सम्बन्ध में अधिक सचेत नहीं हैं कि विवाह और परिवार का सामूहिक या सामाजिक महत्व अत्यधिक है। इतना ही नहीं, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने से एक परिवार में विभिन्न पीढ़ियों के व्यक्तियों में संधर्ष होने की सम्भावना होती है। आज भी ऐसे अनेक माता पिता है जोकि अपना अनुकुलन बदली हुई दशाओं के अनुसार नहीं कर पाए है।

आधुनिक समाज में भौतिकवाद तथा व्यक्तिवाद की भावना में तीव्र विकास होने से रोमांटिक प्रेम विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई है। आधुनिक समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष के बीच समझौते का रूप ग्रहण कर रहा है। इसके फलस्वरूप विवाह स्त्री-पुरुष के बीच सुविधापूर्ण बन्धन बनता जा रहा है। यही कारण है कि अब स्त्री-पुरुष का विवाह के पूर्व एक-दूसरे के घनिष्ठ सम्पर्क में आना बुरा नहीं समझा जाता बल्कि समझा यह जाता है कि विवाह से पूर्व स्त्री-पुरुष के परस्पर

निकट आने से भावी पारिवारिक जीवन सुखी और सुन्दर होता है। यही कारण है कि आधुनिक समाज में विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में जाति, सम्प्रदाय अथवा परिवार की कुलीनता आदि का महत्व घटता जा रहा है। बहुधा देखने के यह भी आता है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भी परस्पर प्रेम सम्बन्धों के आधार पर विवाह कर लेते हैं। आजकल प्रेम विवाह को अनैतिक, अवैधानिक अथवा अनुचित नहीं कहा जा रहा है। इस प्रकार के विवाह सम्बन्धी प्रतिमानों में परिवर्तन होने से परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों के समक्ष प्रश्नचिन्ह लग गया है जिससे सांस्कृतिक विशेषताओं के सामने गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है। रोमांटिक प्रेम विवाहों के प्रभाव से व्यक्तिवादी और एकाकी परिवारों को प्रोत्साहन मिल रहा है जिससे सामूहिकता और संयुक्त परिवार की व्यवस्था को बनाये रखना कठिन दिख रहा है। वस्तुतः पारम्परिक विवाह दो परिवारों के सम्बन्धों का द्योतक रहा है जबकि रोमांटिक प्रेम विवाह वास्तव में दो व्यक्तियों का सम्बन्ध है। वस्तुतः प्रेम भावनाा एक उद्वेग है, जिसमें तर्क और विवाह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इससे स्थायी पारिवारिक जीवन प्रभावित होता है।

आधुनिक शिक्षा के संघात में विवाह की प्रकृति, पद्धति तथा उद्देश्यों में क्रांतिकारी रूपान्तरण हो रहे हैं। आधुनिक समाज में शिक्षित तथा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति विवाह को जन्म-जन्मान्तर का अविच्छेद सम्बन्ध नहीं मानता। पति-पत्नी के रूप में पारम्परिक सम्बन्धों के समाप्त होने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। आज विवाह विच्छेद धार्मिक दृष्टि से अनुचित होने के बावजूद समाज में लोग स्वीकार कर रहे है। आधुनिक समाज में विवाह का उद्देश्य धर्म या पुत्र प्राप्ति नहीं रह गया है, वर्तमान काल में सामाजिक जीवन में यज्ञों, श्राद्ध तथा तर्पण जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उदासीनता बढ़ रही है। आधुनिक समाज में अन्तर्जातीय तथा अन्तर्धार्मिक विवाह सम्बन्धों में वृद्धि हो रही है।

जाति व्यवस्था का संभवतः सबसे कठोर प्रतिबन्ध विवाह से सम्बन्धित है। किसी भी व्यक्ति की अपनी ही जाति अथवा उपजाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती। यद्यपि कुछ पर्वतीय प्रदेशों और मालाबार के नम्बूदरी ब्राह्मणों में अपनी जाति से निम्न स्थिति वाली जाति की लडकी से विवाह कर लेने का प्रचलन रहा है, लेकिन यह भी जाति के अनुत्रोय और कुलीन विवाह के नियम के अन्तर्गत ही है। प्रत्येक जाति में यह निश्चित नियम होता है कि अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह होगा, अर्थात् जाति-प्रथा अन्तर्जातीय विवाह की आज्ञा नहीं देती, परन्तु वर्ग व्यवस्था के अन्तर्गत विवाह सम्बन्धी इस प्रकार का कोई निश्चित नियम नहीं होता कि एक वर्ग का सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्य के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता।

भारत में विवाह से जुड़े कई कानून हैं, यथा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन, और सिख धर्म को मानने वाले लोग विवाह कर सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत, अलग-अलग धर्मों के लोग या जिनके रस्म-रिवाज अलग हों, वे विवाह अदालत में शादी कर सकते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए कानून है। इसके तहत, 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी पुरुष अगर बाल विवाह करता है, तो उसे दो साल तक की जेल हो सकती है या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आधुनिक समाज में, सरकार द्वारा विवाह सम्बन्धी अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम अपनी भूमिका निभाा रहे हैं। ये योजनाएं, राज्य सरकारों की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शुरू की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत, लाभार्थी परिवारों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। विवाह योजनाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित की जाने वाली एक योजना है जिसके अंतर्गत वे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराते हैं। योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की विवाह योग्य कन्याओं शादी के लिए 51000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस धनराशि में से 35,000 रुपये कन्या के खाते में, 10,000 रुपये वैवाहिक सामग्री खरीदने के लिए, और 6,000 रुपये आयोजन के लिए दिए जाते हैं।

उपसंहार

आधुनिक समाज में विवाह, दो लोगों के बीच प्रेम, सम्मान, और आपसी प्रतिबद्धता के आधार पर एक स्वैच्छिक मिलन है। यह एक सामाजिक संस्था है। विवाह, परिवार की आधारशिला है और समाज की निरंतरता के लिए जरूरी है। आधुनिक समाज में विवाह की विशेषताओं पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि आधुनिक विवाह में, व्यक्तिगत पसंद और भावनात्मक पूर्ति पर ज्यादा जोर दिया जाता है। विवाह से पहले व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है। खुशहाली के लिए दोस्ती, संचार, सम्मान, विश्वास, और विकास की मानसिकता शामिल होती है। प्रेम विवाह का चलन बढ़ा है। विवाह के लिए कानूनी और वित्तीय लाभ भी हैं। भारत में विवाह को आधुनिक समाज में पवित्र माना जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. अल्तेकर, ए.एस., दी पोजीशन ऑफ विमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, वाराणसी : मोतीलाल बनारसीदास।

2. दूबे, एस.सी. (1958), इण्डियाज चेंजिंग विलेजस, न्यूयार्क इटिका, कोरनल यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 198.

3. कपूर, प्रमिला (1974), मैरिज एण्ड वर्किंग विमेन इन इण्डिया, न्योडा : विकास पब्लिशिंग हाउस.

4. रामनाथ सिंह (2008), परिवार और समाज, मेरठ: राजहंस प्रकाशन मंदिर.

5. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी (2003), भरत अग्रवाल सामाजिक समस्याएं, वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन.

6. मेयर, लूसी (1992), सामाजिक नृविज्ञान की भूमिका, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, पृ. 86.

7. बोगार्डस, ई.एस. (1944), सोशियोलॉजी, न्यूयॉर्क: फॉरगोटेन, पृ. 75

8. रिवर्स, डब्ल्यू.एच.आर. (1968), सामाजिक संगठन, हिन्दी अनुवाद, लन्दन : डॉसन्त ऑफ पॉल मॉल, पृ. 29.

9. मजूमदार एण्ड मदान (1924), एन इन्ट्रोडक्शन टू एन्थ्रोपोलॉजी, दिल्ली : म्यूर बुक पब्लिशर्स पृ. 416.

10. गिलिन, जे.एल. एण्ड गिलिन, जे.पी. (1950), कल्चरल सोशियोलॉजी, दिल्ली : मैकमिलन, पृ. 87

11. कपाड़िया, के.एम. (1966) मैरिक एण्ड फैमिली इन इंडिया, कोलकाता : आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 177

12. कपाड़िया, के. एम. (1956), रूरल फैमिली पैटर्न, ए स्टडी ऑफ रूरल अर्बन रिलेशन, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, वा. 5, नं. 2, सितम्बर, पृ. 156-159.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.

****